रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2017/पौष 21, 1938
No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2017/PAUSA 21, 1938

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

**(वाणिज्य विभाग)**

## (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

## सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2017

**सं. 54/2015—20**

**विषय:- प्रक्रिया पुस्तक (2015—20) के अध्याय-2 में संशोधन ।**

**फा. सं. 01/93/180/09/एएम-16/पीसी-2(ख).** — विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015—20) के पैरा 2.14(क) के साथ–साथ सार्वजनिक सूचना सं. 58 दिनांक 1.2.2016 और विदेश व्यापार नीति (2015—20) के परिशिष्ट 2ट के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

| क्र.सं. | प्रक्रिया पुस्तक संबंधी पैरा/ सार्वजनिक सूचना परिशिष्ट | प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|---|
| 1. | 2.14 क | जब कोई आईईसी धारक अपने आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/ पंजीकृत कार्यालय का पता के संबंध में कोई संशोधन/ परिवर्तन चाहता हो और परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकार से संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के कार्यालय में परिवर्तन होता है तो इस संबंध में नए क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में | जब कोई आईईसी धारक अपने आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/ पंजीकृत कार्यालय का पता के संबंध में कोई संशोधन/ परिवर्तन चाहता हो और परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकार से संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के कार्यालय में परिवर्तन होता है तो इस संबंध में **संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अनुरोध** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | आवेदक अपना कार्यालय स्थानांतरित कर रहा है, को अनुरोध करना होगा। आवेदन संबंधी ब्यौरे के साथ इस अनुरोध की प्रति पूर्व क्षेत्रीय प्राधिकारी के उस कार्यालय में जमा करनी होगी जहां से मूल आईईसी जारी किया गया था।<br>इस अनुरोध के आधार पर पूर्व क्षेत्रीय प्राधिकारी (जो अब तक आईईसी फाइल का अभिरक्षक रहा है) आईईसी फाइल नए क्षेत्रीय प्राधिकारी (नया अभिरक्षक) को हस्तांतरित करेगा जो हस्तांतरित फाइल और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत नए दस्तावेजों के आधार पर समुचित संशोधन करेगा। नया क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक को इसके नये पते पर आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने और एफटीपी के अनुसार पात्र लाभों के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। | **करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है।**<br>इस अनुरोध के आधार पर **क्षेत्रीय प्राधिकारी (जो अब तक आईईसी फाइल का अभिरक्षक रहा हो) ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करेगा और उचित पाए जाने पर आईईसी में संशोधन करेगा और इसकी सूचना उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को देगा जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक स्थानांतरण चाहता है।** नया क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक को इसके नये पते पर आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने और एफटीपी के अनुसार पात्र लाभों के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। |
| 2. | सार्वजनिक सूचना सं. 58 दिनांक 01.02.2016 | ऑनलाईन आईईसी आवेदन के एक बार अस्वीकृत होने के बाद इसे आगे प्रक्रियाबद्ध नहीं किया जाएगा। आईईसी प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को नए सिरे से 500 रूपये प्रोसेसिंग शुल्क देकर पुन: आवेदन करना होगा। | आईईसी आवेदन हेतु आवेदकों को 500 रूपये (केवल पांच सौ रूपए) शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। **यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो आवेदक आगे बिना किसी शुल्क के भुगतान के पूर्व आवेदन के अस्वीकृत होने के कारणों का निवारण कर सकेगा।** |
| 3. | परिशिष्ट 2ट | **7. शुल्क का समायोजन:**<br>ऐसे मामले जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्राधिकार-पत्र (जिसे फर्म के निवेदन करने पर सीमा-शुल्क विभाग के पत्तन पर पंजीकरण न किए जाने के कारण क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है) के स्थान पर नया अग्रिम प्राधिकार पत्र, ईपीसीजी तथा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की गई है इनमें क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्राधिकार पत्र हेतु भुगतान किया गया आवेदन शुल्क का नए प्राधिकार-पत्र हेतु समायोजन किया जाएगा। तथापि, नए प्राधिकार पत्र के लिए 200 रूपये के न्यूनतम आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी का कार्यालय प्रमुख इस प्रावधान के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी करते समय पूर्व में | ऐसे मामले जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्राधिकार-पत्र (जिसे फर्म के निवेदन करने पर सीमा-शुल्क विभाग के पत्तन पर पंजीकरण न किए जाने के कारण क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है) के स्थान पर नया अग्रिम प्राधिकार पत्र, ईपीसीजी तथा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की गई है **अथवा ऐसा मामला जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी फर्म को सही स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने का सुझाव देता है,** इनमें क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्राधिकार पत्र हेतु भुगतान किया गया आवेदन शुल्क का नए प्राधिकार-पत्र हेतु समायोजन किया जाएगा। तथापि, नए प्राधिकार पत्र के लिए 200 रूपये के न्यूनतम आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी का कार्यालय |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | निरस्त किए गए प्राधिकार-पत्र का समुचित लिंकेज सुनिश्चित करेगा। | प्रमुख इस प्रावधान के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी करते समय पूर्व में निरस्त किए गए प्राधिकार-पत्र का समुचित लिंकेज सुनिश्चित करेगा। |

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:-** प्रक्रिया में संशोधनों/सुधारों को अधिसूचित किया जा रहा है।

ए.के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**
**(Department of Commerce)**
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**
New Delhi, the 11th January, 2017
**No. 54/(2015—2020)**

**Subject: -Amendment in Chapter 2 of the Handbook of Procedure (2015-20).**

F. **No.01/93/180/09/AM-16/PC-2 (B).—**In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015—2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends para 2.14(A) of the Handbook of Procedure (2015—20) as well as the provision in the Public Notice No.58 dated 1.2.2016 and Appendix 2K of FTP(2015—20) as under:

| Sl no. | HBP Para/ Public Notice / Appendi | Provision | Revised Provision |
|---|---|---|---|
| 1. | 2.14 A | When an IEC holder seeks modification/change of Branch Office/Head Office/Registered Office address in its IEC and which involves a shift in its jurisdictional RA, a request to that effect will have to be made to the new RA to whose jurisdiction the applicant is shifting its Office. A copy of this request with application details is to be submitted to the old RA from where the original IEC was issued.<br><br>On the basis of this request, the old RA (the custodian of the IEC file till now) will transfer the IEC file to the new RA (the new custodian) which shall make appropriate amendment based on the transferred file and fresh documents submitted to it by the applicant. The new RA shall allow the person in its new address to carry out necessary functions and also apply for eligible benefits as per FTP. | When an IEC holder seeks modification/change of Branch Office/Head Office/Registered Office address in its IEC and which involves a shift in its jurisdictional RA, **a request to that effect will have to be made to RA concerned under whose jurisdiction the applicant exists.**<br><br>On the basis of this request, **the RA (custodian of the IEC file till now) will process such requests and amend IEC, if found appropriate, under intimation to the RA under whose jurisdiction the applicant wants transfer.** The new RA shall allow the person in its new address to carry out necessary functions and also apply for eligible benefits as per FTP |
| 2 | PN No.58 dated 1.2.2016 | Online IEC applications once rejected will not be processed any further. Applicant's desirous of seeking IEC will have to apply afresh, by paying the | Applicants are required to pay fees of Rs.500/- (Rupees five hundred only) for IEC application. **If the application is rejected, applicant shall be able to rectify the grounds on which previous** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | processing fees of Rs 500/- | **application was rejected, without paying any further fees.** |
| 3. | Appendix 2k | **7. Adjustment of Fee:**<br>In cases, where a new Advance Authorization, EPCG and Duty Credit Scrip is issued by RA in lieu of the earlier Authorization (which has been cancelled by RA, on the request of the firm, on account of non-registration at the Customs Port), the application fees paid in the earlier Authorization will be adjusted by the RA for the new Authorization. However, a minimum application fee of Rs.200/- shall be paid for the new Authorization. Head of Office of concerned RA while issuing Authorizations under this provision shall ensure proper linkage with the earlier cancelled Authorization | In cases, where a new Advance Authorization, EPCG and Duty Credit Scrip is issued by RA in lieu of the earlier Authorization (which has been cancelled by RA, on the request of the firm, on account of non-registration at the Customs Port), **or in case the RA suggests the firm to file application under correct scheme** the application fees paid in the earlier Authorization will be adjusted by the RA for the new Authorization. However, a minimum application fee of Rs.200/- shall be paid for the new Authorization. Head of Office of concerned RA while issuing Authorizations under this provision shall ensure proper linkage with the earlier cancelled Authorization. |

2. **Effect of this Public Notice:** Amendments/modifications in procedure are being notified.

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.01.13 23:09:05 +05'30'